तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	जा... तामील...
05.12.17	अपीलान्ट स्वंय उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी बाडी से टिप्पणी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया जावें। लोक सचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी अनुसार अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडी से होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडी को स्थानान्तरित किया जा चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडी के विरूद्ध अपील सुनने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है। अतः अपीलान्ट को सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर धौलपुर	